तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8.4.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील विपक्षी द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश किया प्रति वकील प्रार्थी को दी गई पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र मे दिनांक 9.4.24 को पेश हो। पुनश्च:- इतना लिखने पर वकील प्रार्थी द्वारा आपत्ति जाहिर कि गई कि प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का है। जिस पर आज ही बहस सुनी जावे। पत्रावली मे वकील प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार कि जाकर प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अनुसार अपनी बहस इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा आमल्दा प.ह. नन्दवाई की खाता सं. 258 आ.सं. 911/687 रकबा 0.8100 है. भूमि का एक मात्र खातेदार है जिस पर निरन्तर रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन मौके पर स्थाई सीमा सम्बन्धित चिन्ह नही से प्रार्थी एवं विपक्षी गण के मध्य आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। इस लिए न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे। इस पर अपनी जवाबी बहस वकील विपक्षीगण ने इस प्रकार से पेश कि है कि उक्त आराजियात पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। जो कानूनन प्रार्थी पत्थरगढी कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थी पत्थरगढी की आड मे विपक्षी से कब्जा लेना चाहता है। जिसका प्रार्थी को कानूनन अधिकार नही है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी सम्वत 2078-2078 का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। उक्त आराजियात मे प्रार्थी एक मात्र खातेदार है। कोई भी खातेदार अपनी

य उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालत .... मुकाम बेगू

.... मनोहर .... बनाम पुजन

रम मुकदमा प्रा-पत्र अ-धा-128 RA नं. 11/24 सन्.........

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ-धा-128 R-A का स्वीकार किया जाता है। मौजा आमल्दा प-ह-नन्दवाई कि खाता स-258 आराजी स-911/687 रकबा 0.8100 है० भूमि की पत्थर गढी प्रार्थी एंव विपक्षीगण की उपस्थिति मे किये जाने हेतु तहसीलदार बेगू को 1500 रु कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बेगू को पत्र जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	